समक्ष उपखण्ड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर

गोविन्दसिंह v/s TDR धोद मु.नं. 77/2019

...20

पत्रावली पेश [illegible] है
P.O. Sb. [illegible] रत/
यात्रा पर/अन्य [illegible] त्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 27/11/20 को पेश हो।

27/11/20

पत्रावली पे[illegible] स्थित है
P.O. Sb. [illegible] स्त/
यात्रा पर/अन्य [illegible] त्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 07/01/21 को पेश हो।

07/01/21

पत्रावली पेश हुई [illegible] स्थ
का कार्य स्थगन [illegible] पत्रावली गत
आदेशानुसार दिनांक 16/02/21 को पेश हो।

16/02/21

पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम टांटनवा तहसील धोद के खसरा सं. 435 रकबा 2.3500 हेक्टेयर, खसरा सं. 462 रकबा 2.4900 हेक्टेयर, खसरा सं. 544 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा सं. 547 रकबा 0.3300 हेक्टेयर खसरा सं. 588 रकबा 3.0000 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 8.2200 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 232 रकबा 6.7700 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोमसिंह पुत्र जसवंतसिंह अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम गोविन्द सिंह पुत्र जसवंत सिंह है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव परिचय–पत्र में भी प्राथी का नाम गोविन्द सिंह पुत्र जसवंत सिंह अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोमसिंह पुत्र जसवंतसिंह के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र जसवंत सिंह दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी से सुनी गई। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''पूछताछ व दस्तावेजों के अनुसार गोमसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत का वास्तविक नाम गोविन्द सिंह पुत्र जसवंत सिंह है। अतः प्रार्थी का नाम गोमसिंह पुत्र जसवंतसिंह के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र जसवंत सिंह दुरूस्त करने की अनुशंषा की जाती है।'' प्रार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र व एक अन्य स्वतंत्र गवाह विरेन्द्र सिंह का शपथ–पत्र भी पेश किया है। अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत शपथ–पत्र व प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टांटनवा तहसील धोद के खसरा सं. 435 रकबा 2.3500 हेक्टेयर, खसरा सं. 462 रकबा 2.4900 हेक्टेयर, खसरा सं. 544 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा सं. 547 रकबा 0.3300 हेक्टेयर खसरा सं. 588 रकबा 3.0000 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 8.2200 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 232 रकबा 6.7700 हेक्टेयर के राजस्व [illegible] प्रार्थी का नाम गोमसिंह पुत्र जसवंतसिंह के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र जसवंत सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की [illegible] की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.22 17:00:19 IST
Reason: SelfAttested